सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders relating to DR of UP State pensioners
Ref:- 1. Circular No Pen(Misc)/Dearness Relief/1909 LID36487,37401, 37454,36485,37715,36486 dated 08.02.2012 of the AG(A&E) II UP Allahabad.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

2519
14/2

By Speed Post

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/ 1909 **Dated:** 8/02/2012
LID-36487, 37401, 37454, 36485, 37715, 36486

To,

~~**All**~~ **Accountant General (A&E),**
Andhra Pradesh Saifabad
Hyderabad 500004

Subject:- (1) Clarification reg. New defined Contributory Pension Scheme Dt. 20/12/2011
(2) Revision in sanction of pension for class IV employees. Dt. 20/12/2011
(3) New defined Contributory Pension Scheme w.e.f. 01/04/2005 Dt. 05/12/2011
(4) Dearness Relief in pre-revised scale of 5th CPC w.e.f. 01/07/2011
(5) Revision of Pension/Family Pension of pre 01/01/2006 of Guru Gobind Singh Sports College, Lucknow. Dt. 30/11/2011
(6) Revision of rates of Gratuity/Pension/Family Pension of on or after 01/01/2006 of Guru Gobind Singh Sports College, Lucknow. Dt.09/11/2011

189743
24/2/12

Sir,

I am forwarding herewith copy of:-

(1) G.O. issued by Uttar Pradesh Govt. vide No. Sa-3-1718/10-2011/301(9)/2011 dt. 20/12/2011 in respect of Clarification reg. New defined Contributory Pension Scheme Dt. 20/12/201

(2) G.O. No. Sa.-3-1272(1)/10-2010-101(12)/2009 dt. 20/12/2011 in respect of Revision in sanction of pension for class IV employees. Dt. 20/12/2011

(3) G.O. No. Sa-3-1613/10-2011-301(9)/2011 dt. 05/12/2011 in respect of New defined Contributory Pension Scheme w.e.f. 01/04/2005 Dt. 05/12/2011

(4) G.O. No. Sa-3-GI-25(1)/10-2011-301/2000 dt.23/12/2011 in respect of Dearness Relief in pre-revised scale of 5th CPC w.e.f. 01/07/2011

(5) Office Memo. No. Sa-3-1645/10-2011-322(1)/2011 TC-I dt. 30/11/2011 in respect of Revision of Pension/Family Pension of pre 01/01/2006 of Guru Gobind Singh Sports College, Lucknow. Dt. 30/11/2011

(6) Office Memo. No. Sa-3-1510/10-2011-322(1)/2011 TC-I dt. 09/11/2011 in respect of Revision of rates of Gratuity/Pension/Family Pension of on or after 01/01/2006 of Guru Gobind Singh Sports College, Lucknow. Dt.09/11/2011

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Angada Rai

Sr. Accounts Officer

O/o A.G. ASE-II U.P.
UNIQUE No. 36486
Co-ordination
SECTION

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या : सा–3– 1510 /दस–2011–322(1)/2011 टी.सी.–1
लखनऊ : दिनाँक : 09 नवम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :–गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के दिनांक 01–01–2006 अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन/ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण ।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–एस0पी03906/42–34/एस0पी0/6एस0पी0/85 दिनांक 28 जनवरी, 1988 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 1986 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या होने वाले उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज लखनऊ में सोसायटी/शासन द्वारा अनुमोदित पदों पर स्थाई पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से विधिवत् चयनित एवं नियुक्त कर्मचारियों को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पेंशन, मृत्यु तथा सेवानिवृत्तिक आनुतोषिक (डेथ कम रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी), पारिवारिक पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि की सुविधायें प्रदान की गयी हैं । उक्त शासनादेश में कालेज के कर्मचारियों को यह सुविधाएं उन्हीं दरों एवं प्रतिबन्धों के साथ देय होने का उल्लेख किया गया है जिन दरों एवं प्रतिबन्धों पर समान स्तर के या समकक्ष वेतन एवं पदधारित राज्य कर्मचारियों के लिए यह सुविधायें अनुमन्य करायी गयी हैं । उक्त के क्रम में राज्यपाल महोदय ने गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के दिनांक 01.01.2006 अथवा इसके उपरान्त के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेंच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये हैं । यह आदेश दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी समझें जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण/समायोजन किया जायेगा ।

2– प्रभावी होने की तिथि

(1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्था गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के दिनॉक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए अथवा मृत हुए, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होंगी ।

दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

(2) जिन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मामले में दिनांक 01.01.2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा । यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा ।

3– परिलब्धियाँ

(1) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था ।

(2) "वेतन" से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर आधारित पूर्व वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड में वेतन तथा लागू ग्रेड पे के योग से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन तथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है ।

(3) सेवानिवृत्ति/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा ।

4–पेंशन

(1) पेंशन की गणना पूर्व की भॉति, औसत परिलब्धियों पर किये जाने के साथ साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में प्रतिस्थापित पे बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो वह अनुमन्य होगी ।

(2) ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, को पेंशन अनुमन्य नहीं होगी, परन्तु उक्त श्रेणी के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमानुसार अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे ।

(3) वर्तमान में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है परन्तु राज्य कर्मचारियों की भॉति दिनांक 01.01.2006 से उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है । जो सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के आधार पर, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी ।

(4) ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते हैं तथा पेंशन पाने के पात्र हैं, उन्हें भी उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी ।

(5) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा ₹ 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि की सीमा ₹ 40,000 प्रतिमाह होगी ।

(6) वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य की जायेगी :

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि प्रतिमाह
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में वरिष्ठ पेंशनर की जन्म तिथि होगी ।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.) में पेंशनर की जन्म तिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो । पी.पी.ओ. में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जाएगी । उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेंशन की धनराशि ₹ 10,000 प्रतिमाह है तो उसमें (क) मूल

पेंशन ₹ 10,000 तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन ₹ 2,000 प्रतिमाह होगी । इसी प्रकार से 85 वर्ष की आयु पर (क) मूल पेंशन ₹ 10,000 तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन ₹ 3,000 प्रतिमाह होगी । उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत मंहगाई राहत भी अनुमन्य होगी ।

5–ग्रेच्युटी

सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख होगी । इस प्रकार से पूर्व व्यवस्था को दिनॉक 01.01.2006 से संशोधित समझा जायेगा । लेकिन ग्रेच्युटी की अनुमन्यता का निर्धारण तथा धनराशि का आकलन विद्यमान शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।

6–अर्हकारी से अतिरिक्त सेवा की गणना

उपरोक्त प्रस्तरों 1 से 5 में उल्लिखित पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तथा संबंधित शासनादेश तद्नुसार संशोधित समझे जायेंगे ।

7–पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन की 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम ₹ 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम ₹ 24,000 प्रतिमाह होगी ।

(1) कर्मचारी की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सामान्य पेंशन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेंशन की धनरशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है । दिनॉक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है । पेंशनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा । पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय ।

(2) वरिष्ठ पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी :

पारिवारिक पेंशनर की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि प्रतिमाह
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर–4(6) के अनुसार की जायेगी ।

(3) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा –

वर्ग–।

(क) विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/ पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक ।

वर्ग–।।

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग–1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता–पिता जो गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है ।

आश्रित माता–पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी ।

वर्ग–।। से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता–पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सेवक के परिवार में उसकी ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो । पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी ।

(4) उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य मंहगाई राहत पर निर्धारित होगी ।

(5) संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जाएगी । उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण–पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा ।

8–<u>पेंशन के एक भाग का राशिकरण</u>

(1) प्रत्येक सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग का राशिकरण करा ले । पेंशन राशिकरण की गणना विद्यमान शासनादेशों के अनुसार की जायेगी । पेंशन राशिकरण की तालिका संलग्न है ।

(2) पेंशन राशिकरण से सम्बन्धित पुनरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है । जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की कार्यवाही इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने के पूर्व सम्पन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा । पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनॉक 01.01.2006 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा लें ।

9– ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना को वरण करने का विकल्प दिया है, पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी पेंशन की गणना हेतु औसत परिलब्धियों का आगणन अग्रलिखित रीति से किया जायेगा --

(क) जिस अवधि में पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का आहरण किया गया है, उस अवधि के लिए वेतन बैण्ड में आहरित वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड पे का योग अथवा एच.ए.जी. और उच्चतर वेतनमानों में आहरित वेतन ।

(ख) शेष अवधि जिसमें अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण किया गया है, के लिये –

(i) संगत अवधि में आहरित मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन एवं दिनाँक 01.01.2006 को लागू दरों पर मंहगाई भत्ता; तथा

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन में 40 प्रतिशत के बराबर फिटमेन्ट का प्रकल्पित लाभ ।

10– शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिन्होने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है, के संबंध में विशेष व्यवस्था

ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जिन्होने दिनांक 01.01.2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है और दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे है या हुये हैं, की पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा :–

(1) "परिलब्धियाँ" शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(1) तथा उस पर मंहगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 (आधार वर्ष 1982=100) तक अनुमन्य मंहगाई राहत ।

(2) पेंशन की गणना परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर, जो भी अधिक लाभप्रद हो, की जाएगी ।

(3) इस कार्यालय–ज्ञाप के आधार पर आगणित/अनुमन्य पेंशन पर औसत AICPI-536 के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाली मंहगाई राहत अनुमन्य होगी ।

(4) मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्तानुसार परिभाषित 'परिलब्धियाँ' तथा उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा ₹ 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार मात्र) होगी । जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, ग्रेच्युटी की अनुमन्यता का निर्धारण इन आदेशों के प्रभावी होने से पूर्व गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये प्रभावी व्यवस्था / शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(5) पेंशन राशिकरण की दरें वही होंगी जो इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थीं ।

(6) पारिवारिक पेंशन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसकी गणना दिनांक 01.01.2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जाएगी । उपरोक्त गणना हेतु औसत AICPI-536 (आधार वर्ष 1982=100) तक निर्धारित मंहगाई राहत, जैसी कि शासनसादेश संख्या–सा–3–1746/दस–308/05, दिनांक 02.12.2005 में बतायी गयी है, को सम्मिलित किया जायेगा । इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर AICPI-536 के आगे देय मंहगाई राहत की गणना की जाएगी ।

(11)– अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जायेगा ।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के प्रकरण शासन स्तर पर वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा व्यवहृत किये जायेंगे ।

संलग्नक : यथोपरि ।

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

ANNEXURE

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re. 1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.190	61	8.194		

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 सा० वित्त–11–12–08–(1593)–15000 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या : सा–3–1695 /दस–2011–322(1)/2011 टी.सी.–I
लखनऊ : दिनाँक : 30 नवम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण /पुनरीक्षण ।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–एस0पी03906/42–34/एस0पी0/6एस0पी0/85 दिनांक 28 जनवरी, 1988 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 1986 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या होने वाले उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज लखनऊ में सोसायटी/शासन द्वारा अनुमोदित पदों पर स्थाई पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से विधिवत् चयनित एवं नियुक्त कर्मचारियों को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पेंशन, मृत्यु तथा सेवानिवृत्तिक आनुतोषिक (डेथ कम रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी), पारिवारिक पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि की सुविधायें प्रदान की गयी हैं । उक्त शासनादेश में कालेज के कर्मचारियों को यह सुविधाएं उन्हीं दरों एवं प्रतिबन्धों के साथ देय होने का उल्लेख किया गया है जिन दरों एवं प्रतिबन्धों पर समान स्तर के या समकक्ष वेतन एवं पदधारित राज्य कर्मचारियों के लिए यह सुविधायें अनुमन्य करायी गयी हैं । उक्त के क्रम में राज्यपाल महोदय ने गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के संबंध में निम्नवत् आदेश प्रदान किये हैं ।

2– इन आदेशों के अन्तर्गत :

(क) "वर्तमान पेंशनर" अथवा "वर्तमान पारिवारिक पेंशनर" का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2005 को पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार थे ।

(ख) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31–12–2005 को देय थी, से है ।

(ग) वर्तमान महँगाई पेंशन/पारिवारिक पेंशन का तात्पर्य दिनांक 31–12–2005 को अनुमन्य महँगाई पेंशन/पारिवारिक पेंशन से है ।

(घ) "वर्तमान महँगाई राहत" का तात्पर्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को **AICPI** 536 (आधार वर्ष 1982-100) के अनुसार मिल रही राहत से है जो वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई पेंशन के योग के 24 प्रतिशत के समतुल्य है ।

3–(1) वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन दिनांक 01–01–2006 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा :–

(I) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(II) वर्तमान महँगाई पेंशन/पारिवारिक पेंशन, जहाँ अनुमन्य हो

(III) वर्तमान महँगाई राहत

(IV) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 40 प्रतिशत फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि।

जिन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन की धनराशि में महँगाई पेंशन की धनराशि सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि की गणना महँगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जाएगी ।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अधीन पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि संलग्न तालिका–1 में प्रदर्शित की गयी है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी पेंशनर की पेंशन की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0ए0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी । दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका–2 में दिये गये हैं । जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तुयह धनराशि ₹ 3500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।

किसी पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की धनराशि संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के दिनांक 01.01.2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत, किन्तु ₹ 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं, होगी ।

यदि समेकित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि ₹ 3500/– प्रतिमाह से कम आती है तो उसे ₹ 3500/– प्रतिमाह कर दिया जायेगा तथा इसे दिनाँक 01–01–2006 से मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन माना जायेगा । जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त है, उनके मामलों में उक्त न्यूनतम सीमा का लाभ सभी पेंशन / पारिवारिक पेंशन के योग के ₹ 3500/– प्रतिमाह से कम होने पर ही देय होगा ।

3(2) उपरोक्त प्रस्तर–3(1) में निहित प्रक्रिया के आधार पर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01–01–2006 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी और इस पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर इसके उपरान्त स्वीकृत मंहगाई राहत अनुमन्य होगी ।

3(3) क्योंकि उपरोक्तानुसार आगणित पेंशन की धनराशि में पेंशन राशिकरण का अंश भी सम्मिलित है, इसलिए मासिक भुगतान में उक्त अंश को घटा दिया जायेगा ।

3(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दिनांक 01–01–2006 के पूर्व न्यूनतम/अधिकतम सीमा क्रमशः ₹ 1275 एवं ₹ 13000 प्रतिमाह थी, दिनांक 01–01–2006 से ₹ 3500 तथा ₹ 40000 हो जायेगी ।

3(5) वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि की जायेगी :–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की धनराशि प्रतिमाह
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत

85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 50 प्रतिशत
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायेगी जिस माह में वरिष्ठ पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि होगी ।

पेंशन भुगतानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जायेगी । उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि ₹ 10,000/– है, उस दशा में उसके सम्मुख अतिरिक्त पेंशन ₹ 2000/– प्रतिमाह अंकित की जायेगी। इसी प्रकार से उपरोक्त तालिका में दर्शायी पेंशन एवं अतिरिक्त पेंशन दर्शायी जायेगी । उपरोक्त प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि अवश्य अंकित की जायेगी, जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो ।

3(6) वर्तमान में ऐसे पेंशनर जो दिनांक 31–03–1985 और 31–12–1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें "वैयक्तिक पेंशन" स्वीकृत की गई हो, वे उसे पूर्व की भाँति प्राप्त करते रहेंगे तथा उसे पेंशन समेकन में शामिल नहीं किया जायेगा ।

3(7) चूँकि उपरोक्त प्रस्तर–3(1) के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन औसत मूल्य सूचकांक 536 (आधार वर्ष 1982=100) के अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत को सम्मिलित कर किया जायेगा, अतः दिनांक 01–01–2006 के उपरान्त उक्त मूल्य सूचकांक के ऊपर मंहगाई के लिए निर्धारित मंहगाई राहत की जो किश्त राजकीय सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेशों से स्वीकृत की जा चुकी है/की जायेगी । गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी तद्नुसार अनुमन्य होगी ।

4– वरिष्ठ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में वृद्धि उपरोक्त प्रस्तर 3(5) के अनुसार अनुमन्य होगी । इन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गई अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत मंहगाई राहत भी अनुमन्य होगी ।

5–, पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामले में इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सोसायटी/प्रधानाचार्य द्वारा प्रधानाचार्य/लेखाधिकारी की जांच एवं संस्तुति के आधार पर किया जायेगा । प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) के दोनों अर्धभागों पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायेगी । इस सम्बन्ध में 01–01–2006 से पूर्व के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के मामले में प्रारूप–3 पर सूचना लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर सोसायटी/प्रधानाचार्य को प्रेषित की जायेगी ।

6— इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षण के फलस्वरूप सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेषों का भुगतान तत्काल किया जायगा । किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में शेष देय धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा नामित व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को एक मुश्त भुगतान कर दी जायेगी ।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के प्रकरण शासन स्तर पर वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा व्यवहृत किये जायेंगे ।

संलग्नक : यथोपरि ।

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या : सा–3–1645 /दस–2011–322(1)/2011 टी.सी.–I तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, खेलकूद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, खेलकूद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य/ लेखाधिकारी, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, पेन्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5 / खेलकूद अनुभाग–1

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या : सा–3– 1613/दस–2011–301(9)/2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 05 दिसम्बर, 2011

विषय : दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/41/061 पी0 एण्ड पी0डब्लू0 (ए) दिनांक 05 मई, 2009 के द्वारा, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट / विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के अनुरूप, अग्रेतर आदेशों तक, राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को/उनके आश्रितों को, अधोलिखित लाभ राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति –
(i) संगत नियमों के अधीन अपंगता पेंशन ।
(ii) संगत नियमों के अधीन रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी ।

(2) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु–
(i) संगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन
(बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन को सम्मिलित करते हुए)।
(ii) संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक ।

(3) शासकीय ड्यूटी पर रहते हुए चोट / बीमारी के कारण सेवानिवृत्ति –
(i) असाधारण पेंशन नियमों के अन्तर्गत विकलांगता पेंशन ।
(ii) असाधारण पेंशन नियमों के तहत रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी ।

(4) शासकीय ड्यूटी पर मृत्यु–
(i) असाधारण पेंशन नियमावली के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन ।
(ii) संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक ।

उपरोक्त लाभों पर, समय समय पर लागू मंहगाई पेंशन / महंगाई राहत यथाअनुमन्यता देय होगी ।

2– किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार को इन आदेशों के तहत स्वीकृत लाभों का भविष्य में, नयी पेंशन योजना से प्राप्त होने वाले लाभों में से उसी रीति से समायोजन किया जायेगा जैसी इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा निर्धारित की जाये ।

यह आदेश दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माने जायेंगे ।

भवदीया,

(वृन्दा स्वरूप)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : सा–3–1613 (1)/वस–2011, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2– विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
5– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6– निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश ।
9– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10–समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 73 सा० वित्त-20.12.11-(1373)-5000+2 प्रतियां (आफसेट)।

संख्या—सा—3—1718 /दस—2011

LID 37401

O/o A.G. A&E-II U.
UNIQUE No. 37454
Co-ordination
SECTION P. Mix

01/

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा /विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश ।
2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3—महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
5—निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
6—निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
7—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनॉक : 20 दिसम्बर, 2011

विषयः— नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—सा—3—379/दस—2005—301(9)/2003, दिनॉक 28 मार्च, 2005 द्वारा नयी पेंशन योजना लागू की गयी है तथा अधिसूचना संख्या—सा—3—470/दस—2005—301(9)/2003, दिनॉक 28 मार्च, 2005 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस योजना से आच्छादित कर्मचारीगण सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता नही ग्रहण करेंगे।

SSDr 333

2— नयी पेंशन योजना के अधीन, सामान्य भविष्य निधि के समानान्तर व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार से जिज्ञासायें की जा रही हैं ।

3— इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना में दो प्रकार के खाते होंगे—

(I) टियर—I खाता—जो पूर्णतया पेंशन हेतु होगा तथा अनिवार्य होगा। इस खाते में जमा धनराशि का निष्कासन सेवानिवृत्ति के पूर्व नहीं किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त होने पर, इस खाते में जमा धनराशि के 60 प्रतिशत अंश का एक मुश्त भुगतान कर्मचारी/उसके आश्रितों को किया जायेगा एवं शेष 40 प्रतिशत अंश का निवेश केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी का क्रय करने में किया जायेगा जिससे कर्मचारी/उसके आश्रितों के लिये पेंशन की व्यवस्था होगी। सेवानिवृत्ति के पूर्व ही टियर—I खाता छोड़ने पर अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश जमा राशि का 80 प्रतिशत होगा।

डाक 17 JAN 2012 अनुभाग इलाहाबाद

(II)टियर—II खाता—जो वैकल्पिक होगा तथा जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से अंशदान कर सकेगा एवं आवश्यकतानुसार इस खाते से धन का निष्कासन भी कर सकेगा। इस खाते में सरकार/नियोक्ता द्वारा अशंदान नहीं किया जायेगा, तथा खाते में जमा राशि का निवेश पेंशन के प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।

Sri Manoj ji
25/01/12

4– नयी पेंशन योजना के कियान्वयन हेतु नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) के रूप में अनुबन्धित किया गया है। निधियों के प्रबंधन हेतु बैंक ऑफ इण्डिया, ट्रस्टी बैंक, तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन निधि प्रबन्धक(पी0एफ0एम0) के रूप में नियुक्त हैं।

5– टियर–।। खाता एन0एस0डी0एल0 के स्थानीय अभिकर्ता, जिन्हें प्वॉइण्ट्स आफ प्रीजेन्स (पी0ओ0पी0) कहा गया है, में खाता खोला जाना होगा, तथा इस खाते में कर्मचारियों द्वारा स्वयं धनराशि जमा करायी जानी होगी। टियर–।। खाते में धनराशि जमा किये जाने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। कर्मचारी अपनी सुविधा एवं विवेकानुसार इस खाते में स्वेच्छा से धनराशि जमा करेगा।

टियर–।। खाते का प्रबन्धन तथा संचालन एन0एस0डी0एल0 तथा पेंशन निधि प्रबन्धकों द्वारा, केन्द्र सरकार की संस्था– पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार, किया जायेगा। टियर–।। खाते से किये गये निवेश पर अर्जित आय भी टियर–।। खाते में जमा की जायेगी।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1718(1)/दस–2011/301(9)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–अपर निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
3–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4–श्री एन0 आर0 रायलू, चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर, एन0पी0एस0 ट्रस्ट, नई दिल्ली।
5–श्री चन्द्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेन्ट, एन0एस0डी0एल0, मुम्बई।
6–श्री कमल चौधरी, चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
7–श्री पुष्कल उपाध्याय, चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव

पी0एस0यू0पी ए0पी0 75 सा0 वित्त–23–12–2011–(1397)–3000 + 2 प्रतियां (आफसेट)।

संख्या–सा–3–1272 / दस–2010–101(12) / 2009

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 20 दिसम्बर, 2011

विषय :– चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रकिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–1997 / दस–2010–101(12) / 2009, दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010 में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– इस संबंध में निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 के पत्रांक–2556 / 4(39) / 00 / को0नि0 / प्रावि0 दिनांक 21–9–2011 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010 की उक्त व्यवस्था निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दी जाय–

" कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जायेंगे"।

3– शासनादेश दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–जी0आई0–25 / दस–2011–301 / 2000
लखनऊ : दिनाँक : 23 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के **कार्यालय–ज्ञाप संख्या–42 / 15 / 2011– P&PW(G), दिनाँक 21 अक्टूबर, 2011** की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन पा रहे हैं, को उक्त आदेशानुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जाए।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्याःसा–3–जी0आई0–25(1) / दस–2011–301 / 2000, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

F. No. 42/15/2011-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date: 21st October, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners who are in receipt of provisional pension or pension in the pre-revised scale of 5th CPC w.e.f. 1.7.2011.

In continuation of this Department's OM No. 42/15/2011-P&PW(G) dated 11th April, 2011 sanctioning the Dearness Relief to those Central Government pensioners who are in receipt of provisional pension or pension in the pre-revised scales of 5th CPC, the President is pleased to grant the Dearness Relief to these Central Government pensioners as under :

(i) Those who are in receipt of provisional pension or pension in the pre revised scales of 5th CPC are entitled to Dearness Relief @ 127% w.e.f 1.7.2011.

(ii) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 to 31.12.1985 and are in receipt of ex-gratia @ Rs. 600/p.m. w.e.f. 1.11.1997 under this Department's OM No. 45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.1997 are entitled to Dearness Relief @ 127% w.e.f. 1.7.2011.

2. The following categories of CPF beneficiaries who are in receipt of ex-gratia payment in terms of this Department's OM No. 45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.1997 are entitled to DR @ 119% w.e.f. 1.7.2011.

(i) The widows and dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 1.1.1986 or who had died while in service prior to 1.1.1986 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 605/- p.m.

(ii) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs. 659/-, Rs. 703/- and Rs. 965/-.

3. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee. In their application to the pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with the C&AG.

4. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their OM No. 1(4)/EV/2011 dated 21st October, 2011.

5. Hindi version will follow.

(S. P. Kakkar)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Government of India.
Comptroller & Auditor General of India.
As per standard mailing list.